वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश की अपराध स्थिति को नियंत्रित करने तथा कानून–व्यवस्था की बेहतरी हेतु किये गये प्रयास

(12.3.2012 To 30.12.2015)

अपराध नियंत्रण के प्रयास

- पुलिस की सफलता का मूल मंत्र है–जनसहयोग। प्रदेश पुलिस बल का मानवीय चेहरा निखारने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने नई पहल की है ताकि पुलिस व जनता के बीच की दूरी को कम हो सके। अनेक चुनौतियों के बावजूद **कड़े सुरक्षा के इंतजामों के चलते वर्ष 2013 का महा–कुम्भ मेला, इलाहाबाद जहां एक ओर निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न** हुआ वहीं जिस तरह से लोगो की पुलिस ने मदद की उसकी एक मिसाल दुनिया के समक्ष पेश हुई है। इसी कारण प्रदेश पुलिस की सर्वत्र सराहना भी हुई है।
- ''**लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014**'' स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न हुए। साथ ही वर्ष 2014 में 11 विधान सभा उप चुनाव एवं एक लोकसभा उप चुनाव भी शान्तिपूर्णढंग से सम्पन्न हुआ।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश पुलिस की तत्परता व सक्रियता से सभी महत्वपूर्ण त्यौहार, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन, महत्वपूर्ण मेले आदि सकुशल सम्पन्न हुये। उत्तर प्रदेश पुलिस की शानदार परम्परा रही है कि यह पुलिस बल कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा कार्य करने के लिए पूरे देश में अग्रणी पुलिस बल के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही मे सम्पन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 इसके ताजा उदाहरण है, जिसमें अपने सीमित संसाधनों से लगातार तीन माह तक चली इस प्रक्रिया के दौरान शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराये गये। इतना ही नही, इस मध्य विभिन्न धर्मो के अनेको त्यौ6हार, बड़े मेले तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच को भी घटना रहित सम्पन्न कराया।
- वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश में मे पुलिस द्वारा पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी एवं अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया। चुनाव में लगे कर्मियों की ऑनलाइन ड्यूटी लगायी गयी, संवेदनशील जनपदो में ड्रोन कैमरों का उपयोग किया गया तथा अतिसंवेदनशील प्लस श्रेणी के मतदान केन्द्रों पर वीडियो कैमरों से निरंतर निगरानी रखी गयी।
- वर्ष 2015 में श्रावण शिवरात्रि एवं काबड़ मेला हेतु विशेष सतर्कता बरतते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत हेलिकाप्टर पेट्रोलिंग एवं एयर सर्विलांस की अभेद्य सुरक्षा प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था की गयी। सभी प्रकार की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिये पुलिस द्वारा आधुनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया गया जिसमें भीड़भाड़ वाले स्थानों की निगरानी के लिये ड्रोन कैमरों का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय है।
- नवम्बर के अंत तक वर्ष 2014 में 1271 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे गये थे वहीं वर्ष 2015 की अवधि में कुल 1790 इनामी अपराधी जेल भेजे गये जो पिछले वर्ष से अधिक है। गिरफ्तार किये इनामी अपराधियों में 2 लाख का इनामी सुकरम पाल बागपत, 1 लाख का इनामी रणदीप गौतमबुद्धनगर तथा 50–50 हजार रूपये के इनामी अशोक, जुगेन्द्र, सिंहराज भाटी, हरेन्द्र, महताब, साबिर, मुवीन उर्फ काला, धारा, श्रीप्रकाश, संजीव चौधरी, सुमित कुमार उर्फ मोनू, सुरेन्द्र उर्फ गुड्डू कटाई, देवेन्द्र उर्फ देबू, गोदऊ उर्फ विनोद, विजय, सुजीत सिंह आदि नाम प्रमुख है।
- वर्ष 2014 में जहां उक्त अवधि में 21 इनामी अपराधी पुलिस की आत्मरक्षात्मक कार्यवाही में मारे गये थे, वहीं वर्ष 2015 यह संख्या 44 रही। पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अपराधियों में प्रमुख नाम 5 लाख का इनामी सुदेश पटेल उर्फ बलखड़िया, चित्रकूट तथा 50 हजार का इनामी राहुल खट्टा बागपत, रोहित उर्फ शनी सिंह वाराणसी एवं पंकज उर्फ भोला जाट अलीगढ़ प्रमुख है।

स्पेशल टास्क फोर्स ने प्रदेश पुलिस का देश में गौरव बढ़ाया

- उत्तर प्रदेश एसटीएफ नें प्रदेश भर में दुर्दान्त व शातिर अपराधियों, इनामी अपराधियों, अपहरणकर्ताओं, संगठित अपराधकर्ताओं, मादक पदार्थ के अवैध करोबार मे लिप्त, ठगी व जालसाजी, हाइवे पर ट्रक लूट आदि करने वालों, साइबर अपराधियों, जाली मुद्रा में लिप्त अपराधियों तथा चुनौती बने अन्य गंभीर अपराधों का खुलासा करने की

दिशा में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा अनकों उल्लेखनीय व सराहनीय उपलब्धियां हासिल की गई है।

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संगठित एवं कुख्यात अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गयी है, इसके अंर्तगत 1618 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। साथ ही 3 कुख्यात अपराधी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गये है।
- पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर 115 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी जिनमें 5 हजार रूपये से लेकर 2 लाख 35 हजार रूपये तक के इनाम घोषित अपराधी सम्मिलित है। इन अपराधियों से अवैध असलहे जिनमें एके 47, कार्बाइन, पिस्टल, रिवाल्वर व भारी संख्या में देशी तमंचे आदि बरामद किये गये। अपराधियों से एसटीएफ द्वारा 423 शस्त्र बरामद किये गये जिनमें एक एके 47, 5 कार्बाइन और एक एसएलआर है। साथ ही 4361 अवैध करातूस भी बरामद किये गये है।
- फिरौती के लिये अपहरण की घटनाओं पर एसटीएफ ने शिकंजा कसते हुये 102 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है जिनके कब्जे से अपहृत व्यक्तियों की सकुशल रिहाई भी सुनिश्चित करायी गयी है। इन अभियुक्तों के कब्जे से फिरौती की धनराशि के अलावा अवैध असलहे भी बरामद किये गये है।
- संगठित रूप से अपराध करने वाले कुख्यात अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुये समीक्षा अवधि में 1052 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है, जिनमें लूट, डकैती, भाड़े पर हत्या, अवैध शराब की तस्करी, कूट रचित अभिलेखों से धोखाधड़ी, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह, जेल से आपराधिक गतिविधियों के संचालन, फर्जी वेबसाईट बनाकर धोखाधड़ी करने वाले आदि जैसे अपराधों की रोकथाम करते हुये भारी मात्रा में कूट रचित अभिलेख, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, करोड़ो रूपये मूल्य की अवैध शराब एवं उसकी निर्माण सामग्री, भारी संख्या में वाहन, अवैध असलहे, कारतूस तथा नगद धनराशि इत्यादि बरामद किये गये तथा जेल से संचालित की जाने वाली गतिविधियों पर सतर्क निगाह रखकर सैकड़ों की संख्या में आपराधिक घटनाओं को घटित होने से रोका गया।
- एसटीएफ द्वारा समीक्षा अवधि में देश/प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 191 दुर्दान्त अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी, जिनसे भारी संख्या में अवैध असलहे, कारतूस, लूट व चोरी से संबंधित सामान तथा वाहन आदि बरामद करने में सफलता प्राप्त हुयी। साथ ही इस दौरान आतंकवादी गतिविधियो में लिप्त एवं आई0एस0आई0 एजेन्ट 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी। इसके अलावा उक्त अवधि में अण्डरवर्ल्ड राजा शैट्टी से जुड़े 11 कुख्यात अपराधियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी।
- वन्य जीवों को क्षति पहुचाने वाले अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर इन अपराधों मे लिप्त 32 अपराधी पकड़े गये व उनसे 995 प्रतिबन्धित वन्य जीव एवं चिड़िया सहित वन्य जीवों, उनके अंगों तथा शिकार करने वाले उपकरणों आदि को बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी।
- अवैध मादक पदार्थो की धरपकड़ हेतु एसटीएफ द्वारा अभियान चलाकर 96 अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी। 50 हजार लीटर एवं 4 ड्रम अवैध स्प्रिट भी बरामद की गयी जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 6.5 करोड़ रूपये है। लगभग 6 करोड़ मूल्य की अवैध शराब तथा 21 करोड़ 20 लाख रूपये मूल्य का चरस, अफीम, गांजा, हिरोइन, डोडा इत्यादि मादक पदार्थ बरामद किये गये। साथ ही 67 लाख रूपये से अधिक की जाली भारतीय मुद्रा तथा विभिन्न प्रकार के 117 चौपहिया वाहन तथा 103 दोपहिया वाहनो की भी बरामदगी की गई।
- साइबर सेल के गठन के उपरांत गत वर्षो में साइबर टीम द्वारा अब तक कुल 423 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, म0प्र0, पश्चिम बंगाल एवं आस–पास के प्रांतों से लगभग 133 करोड़ 75 लाख रूपये की धोखाधड़ी विभिन्न व्यक्तियों एवं विभिन्न विभागों से की गयी है।
- इसके अलावा कुख्यात अपराधियों पर निगरानी करते हुये एसटीएफ ने प्रभावी कार्यवाही कर 250 आपराधिक घटनाओं को घटित होने से रोका गया है। नकली मुद्रा के विरूद्ध अभियान चलाकर 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में भारतीय जाली मुद्रा बरामद की गयी।
- कुख्यात अपराधियों पर निगरानी रखते हुये समय रहते कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा की जाने वाली लगभग 250 आपराधिक घटनाओं को होने से रोका गया।
- एसटीएफ को और अधिक सशक्त, सुदृढ़ एवं सुसज्जित करने के उद्देश्य से एक अलग एसटीएफ भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक सुरक्षा तथा जांच के उपकरणों सहित आधुनिकतम संचार प्रणाली

स्थापित की जा रही है। जिसका उपयोग एसटीएफ के साथ–साथ प्रदेश के सुरक्षा, अभिसूचना मुख्यालयों सहित देश की अन्य गुप्तचर एवं एनआईए द्वारा भी किया जायेगा।

- आंतकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये प्रदेश में गठित एटीएस को और अधिक सुदृढ़ एवं अतिरिक्त संसाधनों से लैस किया जा रहा है साथ ही लखनऊ स्थित अमौसी में एटीएस कमाण्डो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कार्य प्रगति पर है। जिसका उपयोग एटीएस एवं एसटीएफ दोनों के द्वारा किया जा सकेगा।
- देवीय आपदाओं का सामना करने के लिये स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स (एसडीआरएफ) के गठन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। यह विशिष्ट बल प्रदेश की पीएसी के अधीन कार्य करेगा तथा किसी आपातकालीन परिस्थिति में बचाव एवं राहत कार्य में लगी प्रदेशीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं/विभागों की सहायता करेगा।
- महामहीम श्री राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिये एसपीजी की तर्ज पर एक विशिष्ट सुरक्षा बल गठित किया जायेगा।

प्रो एक्टिव पुलिसिंग एवं कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष बल

- प्रो एक्टिव पुलिसिंग एवं कम्युनिटी पुलिसिंग पर विशेष बल दिये जाने का भी परिणाम अपराधों की कमी के रूप में सामने आया है। पुलिस को वर्ष 2012 से अब तक 2800 से अधिक चार पहिया तथा 2400 से अधिक दो पहिया वाहन उपलब्ध कराये जाने से पुलिस की गतिशीलता बढ़ी है और रिस्पांस टाइम बेहतर हुआ है।
- अपराधियों पर सर्तक दृष्टि रखने के लिये प्रमुख शहर के चौराहों एवं संवेदनशील स्थलों पर अब तक कुल 406 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये। आधुनिकीकरण योजना 2014–15 के अंतर्गत 53 सीसीटीवी कैमरे और स्वीकृत किये गये है। इसके अलावा प्रदेश के 262 थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- **अनमैण्ड एरियल वेहिकिल (UAV) की व्यवस्था** पुलिस विभाग में की गई है जिसके माध्यम से **दूरस्थ व्यक्तियों के समूह, बिल्डिंग, धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ वाले दिनो में निगरानी** की जा सकती है। सहारनपुर तनाव के दौरान UAV का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए उपद्रवियों की निगरानी की गयी। यह उपकरण 400 मीटर की ऊँचाई और 4 किमी दूरी तक जा सकता है। कैमरे को टिल्ट और जूम करके दूरस्थ स्थान का चित्र लिया जा सकता है। इस उपकरण के साथ थर्मल इमेजर कैमरा लगाकर रात में भी वीडियो बनाया जा सकता है। इस उपकरण द्वारा उड़ान के दौरान लिए गए वीडियो ग्राउण्ड यूनिट द्वारा लगातार रिकार्ड किए जाते हैं। इसमें लगे daylight कैमरे का आप्टिकल जूम 10X और डिजीटल जूम 4 X हैं, जो उड़ान के दौरान किसी लक्ष्य को चिन्हित करने में सहायक होता है।
- अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं उनके चिन्हांकन हेतु उक्त कड़ी में गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बरेली आदि प्रमुख शहरों के लिये ड्रोन कैमरे क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के 14 जनपदों यथा आगरा, इलाहाबाद, बुलंदशहर, बरेली, इटावा, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर एवं वाराणसी में क्राइम ब्रांच का गठन प्रथम चरण में किया जा चुका है जिनका सुदृढीकरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 48 एवं तृतीय चरण में 13 जनपदों में क्राइम ब्रांच के गठन की कार्यवाही किया जाना शेष है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष प्रकार के अष्टकोणीय आकृति के नए किलानुमा थाने बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण रहा है।

पुलिस बल की कमी से निपटने के प्रयास

- भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह एक विशाल प्रदेश है जिसको देखते हुये प्रदेश पुलिस बल की संख्या निर्धारित मानकों से काफी कम है। इसके अलावा हर वर्ष लगभग 4 हजार पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त भी हो रहे है। प्रदेश में पुलिस बल की कमी को एक सुविचारित कार्य योजना बनाकर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड के माध्यम से कार्यवाही पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। चयनित पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण कार्य को शीघ्र पूरा कराये जाने तथा अवशेष रिक्तियों को भी नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही में तेजी लाई गई है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 में आरक्षी भर्ती हेतु कुल 38047 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिसमें 33495 आरक्षी पुलिस, 3407 आरक्षी पीएसी तथा 1145 फायर मैन है। इन सभी के प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है। इनके आने से वर्तमान में उपलब्ध मानव संसाधनों में वृद्धि होगी और उसका असर सामान्य पुलिसिंग, शांति व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं अपराधों की विवेचना पर सकारात्मक पड़ेगा।

- भर्ती की यह प्रक्रिया निरंतर गतिमान रहेगी और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नित बोर्ड द्वारा 34716 आरक्षियों की नयी भर्ती का दूसरा विज्ञापन दिसम्बर 2015 के अंतिम सप्ताह में जारी किया गया है। इसके अलावा लगभग 2064 उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डरों की भर्ती की कार्यवाही शीघ्र की जानी है।
- पुलिस विभाग में कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही व्यापक स्तर पर कराकर उन्हें चलाने के लिये जनशक्ति भी उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष प्रयास किये गये है। इसी कड़ी में कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के साथ एवं कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए के 665 पदों पर चयन की कार्यवाही की गयी है जो पुलिस बल में कार्य कर रहे है।

साइबर अपराधो से निपटने के विशेष प्रयास

- इंटरनेट के प्रयोग के विकास के साथ–साथ साइबर अपराधों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2012 में 314, 2013 में 727, 2014 में 1756 साइबर अपराध जहां पंजीकृत हुये थे वहीं वर्ष 2015 में माह अक्टूबर तक यह संख्या 1836 पहुंच गयी है। इन अपराधों से सफलता पूर्वक निपटने के लिये प्रदेश में दो साइबर यूनिट आगरा व लखनऊ में स्थापित किये गये है, जो वर्तमान में क्रियाशील है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के नियंत्रणाधीन साइबर सेल कार्य कर रहे है।
- एसटीएफ लखनऊ एवं वाराणसी परिक्षेत्र में सोशल मीडिया लैब की स्थापना की गयी है तथा लखनऊ में एक साइबर थाना खोलने पर भी गम्भीरता से कार्यवाही की जा रही है।
- एसटीएफ के ही अधीन एक साइबर थाने की स्थापना शीघ्र की जानी है ताकि उसके माध्यम से बढ़ते हुए साइबर अपराधों के अंर्तगत अभियोगों का पंजीकरण एवं विवेचना आदि का कार्य और प्रभावी ढंग से किया जा सके।
- साइबर अपराधों की विवेचनाओं के अनावरण एवं उनमें प्रभावी गुणवत्तापरक कार्यवाही करने हेतु इस कार्य में लगे पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से दक्ष बनाने के प्रयास भी किये जा रहे है। इस सिलसिले में सीबीआई की मदद लेने हेतु एक सहमत पत्र हस्तराक्षरित किया गया है। इस दिशा में प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षकों की व्यवस्था विशेष रूप से की जा रही है। इन सब के फलस्वरूप निकट भविष्य मे प्रदेश पुलिस भी साइबर अपराधों से निपटने के लिये महारथ हासिल कर लेगी।

अग्निशमन सेवा

- उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों में 253 फायर स्टेशनों, 1550 विभिन्न प्रकार के अग्निशमन बचाव यंत्रों एवं उपकरणों तथा 8 हजार से अधिक अग्निशमन कर्मियों के माध्यम से अग्निशमन एवं जीव रक्षा सेवा प्रदान की गयी।
- शासन द्वारा विगत 4 वर्षो में 12 नये फायर स्टेशन तथा 2 फायर स्टेशनों के उच्चीकरण को मंजूरी प्रदान की गयी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 95 फायर स्टेशनों को आवासीय तथा अनावासीय भवन निर्माण हेतु 9613 लाख रूपये से अधिक की धनराशि मंजूर की जा चुकी है।
- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 5 से 7 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के अंदर अग्नि एवं जीव रक्षा सुविधा प्रदान करने के लिये दो जनपदीय मुख्यालयों तथा 119 तहसील मुख्यालयों पर नये फायर स्टेशन खोलने का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है।
- बहुमंजिले भवनों में अग्नि नियंत्रण एवं जीव रक्षा हेतु 15 हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (42 मीटर ऊंचाई), एक एडवांस रेसक्यू टेंडर तथा हवाई अड्डों पर आग से बचाव एवं जीवन रक्षा हेतु पहली बार 2 एयर क्रेस टेंडर खरीदे जा रहे है।
- उत्तर प्रदेश फायर सर्विस द्वारा भवन निर्माण के पूर्व मानचित्रों का परीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु FAMS (फायर एप्रूबल एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम) प्रारम्भ किया जा रहा है। इस योजना में साफ्टवेयर के माध्यम से मानचित्रों का परीक्षण कर ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इस व्यवस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में एकरूपता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- अग्निशमन विभाग में **अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरु की गयी** है। इस व्यवस्था से ऑनलाइन आवेदन करने पर सारी अर्हतायें पूर्ण होने की स्थिति में अब भवनों संबंधी 15 दिनों में व फायर रिपोर्ट के लिए 3 दिनों में अनापत्ति जारी कर दी जायेगी। नयी व्यवस्था लागू होने से पारिदर्शिता के साथ–साथ प्रदेश के औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र में होने वाले निर्माण और प्रदेश में लगने वाले उद्योगों हेतु फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र हासिल करने में आसानी होगी। अग्निशमन विभाग की वेबसाइट **www.upfireservice.gov.in** पर लॉग–इन करने पर NOC लिंक के माध्यम से आन लाइन आवेदन किया जा सकता है।

- विगत 4 वर्ष में अग्निशमन विभाग द्वारा 2691 व्यक्तियों तथा 730558 लाख की सम्पत्ति बचायी गयी है जबकि आग से जलकर 922 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 12998 लाख रूपये की सम्पत्ति की क्षति हुयी है।
- अग्निशमन विभाग में कर्मियों की कमी दूर करने के लिए 1178 विभिन्न पदों पर नयी भर्ती की जानी है।

प्रदेश में पहली बार बनाया गया ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ''

- प्रदेश की वर्तमान सरकार महिला उत्पीड़न की घटनाओं में प्रभावी कार्यवाही हेतु अत्यन्त गंभीर है। इसका प्रमाण है प्रदेश में पहली बार गठित किया गया **''महिला सम्मान प्रकोष्ठ''**। यह प्रकोष्ठ महिला उत्पीड़न से संबंधित सभी घटनाओं में प्रभावी कार्यवाही हेतु जिम्मेदार है। वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती सुतापा सान्याल को इस प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है जिनके पास पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार का भी दायित्व है।
- प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं की सभी शिकायतों, सूचनाओं आदि के पंजीकरण, पंजीकृत अभियोगो एवं जिले में हुई संगीन घटनाओं में की जा रही विवेचनात्मक कार्यवाहियों आदि का सतत अनुश्रवण कर प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही की जा रही है। भा0द0वि0 के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराध की धाराओं, प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेन्सेस एक्ट, जूवेनाइल जस्टिस एक्ट, प्रिवेन्सल आफ इमौरल एक्ट ट्रैफिकिंग एक्ट, सेक्सुअल हेरासमेन्ट एट वर्क प्लेस एक्ट, प्रोटेक्शन आफ वूमेन फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डॉवरी प्रोहिलीशन एक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में रेलवे सहित घटित अपराधों का अनुश्रवण एवं प्रगति आंकलन का दायित्व सौंपा गया है।
- इस प्रकोष्ठ को अब तक 450 प्रार्थना पत्र सीधे प्राप्त हो चुके है जिनमें से 90 मामलों में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता को देखते हुये पीड़िता से सीधे संपर्क कर तत्काल कार्यवाही की गयी।
- अक्ष्या कार्यक्रम के अंर्तगत यूपी कराटे एसोसिएशन आदि के माध्यम से आत्मरक्षा से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आत्मरक्षा के संबंध में 29 स्कूलों की लगभग 5 हजार छात्राओं को प्रशिक्षत कराने के प्रयास किये गये है।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज किये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** प्रदेश में **पहली बार** लागू।महिलाओं की सुरक्षा सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु इस प्रकोष्ठ द्वारा अक्टूबर 2014 से नवम्बर 2015 की अवधि में महिला उत्पीड़न संबंधी 2433 शिकायतों को अभिलिखित करते हुये प्रत्येक जनपद में नियुक्त किये गये नोडल अधिकारियों के माध्यम से वेब पोर्टल (विकल्प) 30 मार्च 2014 से संचालित किया जा रहा है जिस पर केवल महिलाओं से संबंधित शिकायते दर्ज करने की व्यवस्था है।
- पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रियता व योग्यता बढ़ाने के लिये नवचेतना श्रंखला के अंर्तगत ।बजपवद Aid, AALI ,oa UNICEF के सहयोग से लगभग एक हजार पुलिस कर्मियों के Gender Sensitization ट्रेंनिग प्रोग्राम किये गये।
- यह प्रकोष्ठ प्रदेश में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। जिसके तहत गृह विभाग एवं एनजीओं एवं स्वयं सेवी संगठन शक्तिवाहनी के साथ मिलकर 2 हजार पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही साथ प्रदेश में स्थापित 35 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाईयों का डाटावेस तैयार कर उनकी कार्य प्रणाली को सशक्त बनाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।
- रूबरू कार्यक्रम के अंर्तगत विभिन्न स्कूल, कॉलेजों में उम्र परिपक्वता की दहलीज पर खड़े लगभग 27 हजार छात्र–छात्राओं को उनके अधिकार, अध्यावधिक कानूनो की जानकारी सोशल मीडिया, इंटरनेट के प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानिया एवं लैंगिक समानता के विषय में बताये जाने हेतु संपर्क किया गया एवं यथा आवश्यकतानुसार बच्चों की काउंसलिंग की गयी।
- ''जाने अपना कानून और पाये अपना अधिकार'' श्रंखला के अंर्तगत जनसाधारण में महिलाओं संबंधि नियम–कानून जैसे घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, कार्य स्थल पर योन शोषण, एसिड अटैक इत्यादि के संबंध में सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षिणिक संस्थाओं में प्रचार–प्रसार किया गया है।
- सभी 75 जनपदों से एसिड अटैक के अंर्तगत पीड़िताओं की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी गयी जिसके आधार पर 60 पीड़िताओं को आर्थिक सहायता/मुआवजा प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा एसिड अटैक से प्रभावित व्यक्तियों को उनके उपचार एवं पुर्नवास हेतु क्षतिपूर्ति देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। इस योजना के अंर्तगत पीड़ित व्यक्ति अथवा

उसके पारिवारिक सदस्यों को बलात्कार, मानसिक संतापो के कारण हुयी हानि या क्षति, एसिड अटैक जैसे गम्भीर अपराधों में पीड़ित होने की दिशा में क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।

- जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को मुआवजा प्रदान किये जाने हेतु भी प्रकोष्ठ द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
- बच्चों से संबंधित अपराधों पर कार्यवाही के अंर्तगत सभी थानों पर पास्को अधिनियम से संबंधित जानकारी विभिन्न प्रचार–प्रसार के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है तथा नव चेतना कार्यक्रम के अंर्तगत भी इसके विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी है। साथ ही बच्चों से संबंधित कई प्रकरणों में सीधी कार्यवाही भी की गयी है।
- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कमी लाने तथा उनमें सुरक्षा की भावना में वृद्धि हेतु पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में महिला सम्मान प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उनके द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों में प्रभावी कार्यवाही तथा विवेचनाओं का नियमित अनुश्रवण किये जाने के फलस्वरूप विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2015 की उक्त अवधि में छेड़खानी 31.55, बलात्कार 11.31, दहेज हत्या 5.13 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुयी है।

वीमेन पावर लाइन 1090– महिलाओं के लिए वरदान

- छात्राओं, कामकाजी लड़कियों और महिलाओं को आये दिन आने वाले अश्लील एसएमएस, एमएमएस और फेक काल्स से हो रहे एक नये तरह से मानसिक उत्पीड़न से राहत दिलाने हेतु प्रदेश में 15 नवम्बर 2012 को पहली बार ''वूमेन पावर लाइन 1090'' की ऐतिहासिक शुरुआत मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा अपने आवास पर आयोजित एक समारोह में की गयी। प्रदेश पुलिस द्वारा तैयार की गयी इस अत्याधुनिक पावर लाइन के लिए महिला पुलिस बल को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है।
- वूमेन पावर लाइन के पंचतत्व विशेष रुप से उल्लेखनीय है जिसके अन्तर्गत शिकातयकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी, किसी थाने अथवा पुलिस स्टेशन पर नही बुलाया जायेगा, शिकायत महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी, समस्या के समाधान तक पावर लाइन सम्पर्क में रहेगी तथा एक राज्य एक नम्बर।
- प्रदेश के इतिहास में यह एक नयी मिशाल है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने में वूमेन पावर लाइन एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखेगी। वर्तमान समय में सीमित पुलिस बल व संसाधनों के बावजूद भी वूमेन पावर लाइन 1090 अपनी सेवाओं पर पूरी तरह से खरी उतरी है तथा अपनी इस सेवा का अभी तक का सफर बहुत ही सराहनीय रहा है और जनमानस द्वारा इसकी भूरि–भूरि प्रसंसा भी की गयी है।
- वीमेन पावर लाइन की उल्लेखनीय उपलब्धियों के अन्तर्गत प्राप्त 15 नवम्बर, 2012 से इसके अन्तर्गत 30 दिसम्बर 2015 तक 4 लाख 58 हजार से अधिक शिकायती मामले दर्ज कि गये जिनमें से 4 लाख 47 हजार से अधिक शिकायतों का पूर्णतयाः समाधान किया जा चुका है। पावर लाइन को मिली कुल 4,58,372 शिकायतों मे से 4,52,493 शिकायते फोन पर प्रताड़ित करने, 9,958 शिकायतें सार्वजनिक स्थानों पर परेशान करने, 7,733 शिकायते सोशल साइट्स पर परेशान करने तथा 3,334 शिकायते घरेलू हिंसा व 1196 शिकायतें अन्य समस्याओं से संबंधित करायी गयी है।
- महिला सशक्तीकरण की दिशा में वूमेन पॉवर लाइन ने अपनी एक अलग पहचान बनायी है। इस सेवा को और प्रभावी बनाने के निमित्त वीमेन सिक्योरिटी एप 1090 (Women Security App 1090) सेवा भी प्रारम्भ की गयी है, जिसके अत्यन्त सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं और इस सेवा से महिलाओं/लड़कियों में सुरक्षा की भावना बलवती हुई है।
- 15 जून 2014 से 1090 पर सोशल साइट्स यथा फेसबुक, टिवीटर आदि पर महिलाओ परेशान करने या मानसिक प्रताड़ना देने के प्रकरणो पर कार्यवाही शुरू की गई है। अब तक 7733 शिकायतें मिल चुकी है जिनका समाधान कराया गया है।
- इस पावर लाइन की पहुंच को प्रदेश के सुदुरस्थ ग्रामीण अंचलों तक ले जाने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे है। इसके अंर्तगत राज्य मुख्यालय पर स्थित कॉल लाइन सेंटर को दुगुना करने तथा प्रचार–प्रसार की गतिविधियों को सुनियोजित रूप से किये जाने की भी कार्यवाही चल रही है।
- इस सेवा के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रदेश में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए कोई ऐसी सेवा उपलब्ध नही थी, जहॉ शिकायत दर्ज होने के बाद तत्काल राहत प्राप्त हो सके। इस सेवा के अस्तित्व में आने के बाद शिकायतों की संख्या तथा उसके लिए किये गये प्रयासों की सफलता को देखते हुए स्पष्ट होता है कि प्रदेश की महिलाओं के लिए इस सेवा की कितनी नितांत आवश्यकता थी।

- उपलब्धियो के आकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रदेश की महिलाओं ने अपने ऊपर होने वाली इन अत्याचारों के प्रति किस प्रकार से अपनी चुप्पी तोड़ी है और पावर लाइन के सहयोग से उनकी समस्या के निदान के फलस्वरुप उनमें गजब का आत्म विश्वास बढ़ा है तथा अब वह खुल कर अपनी शिकायत कह रही है। सरकार के इस कदम से महिलाओं में एक नये आत्मविश्वास का संचार हुआ है। चारो ओर इसकी केवल सराहना ही नही रही है अपितु कई राज्य इस सफल मॉडल को अपनाने के लिए इस सेवा से जुड़े अधिकारियो के संपर्क मे भी है।

विवेचनाओं को वैज्ञानिक स्वरूप देने के विशेष प्रयास

- अपराधों में हो रही विवेचना को प्रभावी बनाये जाने हेतु वैज्ञानिक विधियों के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। लैंगिक उत्पीड़न, शिशु हत्या व अन्य मामलों में प्रयुक्त किये जाने वाले निर्धारित चिकित्सा विधिक परीक्षण प्रोफार्मा, घटनास्थल निरीक्षण फार्म, डीएनए सैम्पुल कलेक्शन फार्म के पुराने प्रचलित प्रारुप को पुनरीक्षित कर इसे और अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। **पोस्टमार्टम रिपोर्ट** के लिए जो प्रारुप प्रचलित था वह अत्यन्त पुराना था और उसमें फोरेंसिक साइंस के संबंध में जो नई तकनीक थी उसे उल्लखित करने का स्थान नही था। नये प्रारुप में घटनास्थल की फोटोग्राफ, स्केच मेप स्केल, वीडियोग्राफी आदि के संबंध में भी पूरी जानकारी देने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु जैसे डीएनए सैम्पुल टेस्ट आदि के लिए भी पुराने फार्म में स्थान नही था। नये प्रारूप उत्तर प्रदेश पुलिस एवं गृह विभाग की वेवसाइट पर अपलोड है, जो पुलिस के उच्चाधिकारियों, विवेचनाधिकारियों, चिकित्सकों, अभियोजन अधिकारियों आदि के लिए बहुत उपयोगी है।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फोरेंसिक साइंस की नई तकनीकों को सम्मिलित करने के साथ ही प्रदेश के हर जिले में ''**आधुनिकतम सुविधायुक्त पोस्टमार्टम हाउस**'' बनाने का निर्णय लिया गया। जिन जिलो मे पोस्टमार्टम हाउस जर्जर हालत मे हैं वहां शीघ्र ही उनको दुरूस्त किया जायेगा तथा जहां अभी नही बने हैं वहां नये निर्मित कराये जायेंगे। साइबर क्राइम, जाली नोटों का परीक्षण, नार्को एनालिसिस, पोलीग्राफी एवं डीएनए आदि के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अनुभागों में प्रारम्भिक तौर से वैज्ञानिक परीक्षण कार्य शुरु किया गया है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ करते हुए विवेचनाओं में वैज्ञानिक साक्ष्यों को शामिल करने के लिये प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्रीय मुख्यालय पर एक–एक स्टेट ऑफ द आर्ट फोरेंसिक साइंस लेबोटेरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के कार्यान्वयन की दिशा में गाजियाबाद तथा कन्नौज में स्थापित की जाने वाली प्रयोगशालाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है। झांसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ तथा सहारनपुर की प्रयोगशालाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है जिस पर शीघ्र ही आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। बरेली तथा गोण्डा के लिये भूमि की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित की जायेगी।
- पुलिस की विवेचना में गुणवत्ता बढ़ाने तथा विवेचना कार्य में वैज्ञानिक साक्ष्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण एवं उसका जनपद स्तर तक विस्तार किया जा रहा है। अपराधियों को उनके किये गये कार्यो की सजा दिलाने में वैज्ञानिक प्रमाण अकाट्य होने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है।
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 08 जोनल मुख्यालयों पर आवश्यक उपकरणों से लैस फोरेंसिक मोबाइल लैब वैन उपलब्ध कराये गये है। मई, 2015 में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा अपने आवास से हरी झण्डी दिखाकर इसकी शुरूआत भी कर दी गयी है। इन सभी फोरेंसिक वैन में अत्याधुनिक तकनीक युक्त फोरेंसिक किट एवं उसको संचालित करने हेतु विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी है। फोरेंसिक मोबाइल वैन में रक्त, वीर्य, विस्फोटक, नारकोटिक्स, आग्नेयास्त्र, माइक्रोकैमिकल आदि के प्रारम्भिक परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है।
- इस योजना का विस्तार दूसरे चरण में प्रदेश के बाकि बचे 67 जनपदों में किया जायेगा तथा जनपद की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें भी फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध कराये जाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से प्रयास शुरू कर दिये गये है।
- वर्तमान समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित आगरा एवं वाराणसी में विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित है। लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला सबसे बड़ी है जहां पर आग्नेयास्त्र, बायोलाजी, सीरोलाजी, रसायन, हस्तलेख, भौतिकी, विष विज्ञान, उपकरणीय, डीएनए, लाई डिटेक्शन, कम्प्यूटर फोरेन्सिक मेडिकोलीगल एवं नारकोएनालिसिस जैसे 13 अनुभाग स्थापित है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा में आग्नेयास्त्र, बायोलाजी, सीरोलाजी, रसायन, हस्तलेख, भौतिकी, विष विज्ञान, उपकरणीय एवं विस्फोटक 9 अनुभाग स्थापित है जबकि वाराणसी में क्रमशः
- इस प्रकार वर्तमान में आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी में स्थापित प्रयोगशालाओं के अलावा मुरादाबाद में नयी प्रयोगशाला निर्माणाधीन है। इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर विधि विज्ञान

प्रयोगशालाये स्थापित किये जाने की राज्य सरकार की योजना है। इस कड़ी में कानपुर जोन के लिये जनपद कन्नौज में तथा मेरठ जोन के लिए गाजियाबाद में ए श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं शीघ्र ही स्थापित की जाएंगी। गोरखपुर, इलाहाबाद व मुरादाबाद में बी श्रेणी की तथा फैजाबाद, गोण्डा, बस्ती, चित्रकूट, मिर्जापुर, बरेली, सहारनपुर, आजमगढ़, बांदा, झांसी व अलीगढ़ में सी श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने का विशेष अभियान

- दण्ड एवं न्याय की स्थापना के लिए अभियोजन युगों युगों से रहा है और युगों युगों तक रहेगा। अपराधियों को उनके द्वारा किये गये अपराध की जब तक सही सजा नहीं मिलती तब तक समाज को सही संदेश नहीं मिलता है। समाज में दण्ड एवं न्याय की स्थापना के लिए वर्तमान सरकार ने अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने का बीड़ा उठाया है और इस अहम काम की जिम्मेदारी प्रदेश के अभियोजन विभाग को सौंपी गई है।
- शुरूआती और में प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों एवं उनके अधीनस्थ थानाध्यक्ष तक के अधिकारियों को चिन्हित टाप टेन सूची के दुर्दान्त अपराधियों को चयनित कर उनके मुकदमों में पैरवी की हर पेशी में हुई कार्यवाही एवं पेश होने वाले गवाहों आदि की सघन समीक्षा शुरू की। वर्तमान सरकार के कार्यकाल की शुरूआत से ही प्रत्येक जनपद के 10 कुख्यात 5 संवेदनशील, महिला उत्पीड़न, आयुध अधिनियम से संबंधित गंभीर वादो की निरंतर मानीटरिंग की जा रही है। मकसद था बड़े अपराधी को सजादिला कर अन्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना।
- इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया और प्रत्येक मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों की वीडियो कान्फ्रेंसिग से अभियोजन विभाग हर जिले मे तैनात अधिकारियो द्वारा पैरवी कार्य की गहन समीक्षा का भी सिलसिला शुरू किया गया ताकि फील्ड स्तरीय अधिकारियों को लखनऊ बुलाये बिना कम समय में समीक्षा कार्य हो सके।
- जहां एक ओर प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप वर्तमान शासन काल में अप्रैल 2012 सें अब तक न्यायालय द्वारा 35 मामलों मे 45 मुजरिमों को मुत्युदण्ड की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार टॉप–10 व सक्रिय अपराधी की सूची में शामिल 5728 अपराधियों को आजीवन कारावास तथा 5766 सक्रिय अपराधियों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दिलाने में अभियोजन विभाग को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई से अपराधियों के दिलों में दहशत का महौल है और अब समाज में स्पष्ट संदेश जा रहा है कि अब अगर अपराध किया तो सजा भुगतनी तय है और किसी प्रकार की तिकड़म काम नहीं आयेगी।
- वर्तमान सरकार के शासन काल में अप्रैल 2012 सें 2015 में अब तक लोक व्यवस्था भंग करने के सनसनीखेज मामलों में 315 से अधिक प्रकरणों में राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार गैंगस्टर अधिनियम में 3408 मुकदमों में 7497 मुल्जिमों तथा दलित उत्पीडन के 2617 मामले में 3663 मुलजिमों को भी सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गई है।
- महिला व बाल उत्पीडन के अपराधों में भी सरकार का रवैया भी बड़ा सख्त हो गया है तथा वर्तमान शासन काल की उक्त अवधि में बाल उत्पीड़न के 1064 तथा महिला उत्पीड़न के 4891 मामलों में अपराधियों को अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सजा मिली है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 के बाद पाक्सो (pocso) एक्ट का प्रादुर्भाव हुआ है, बच्चे हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोधर है, तथा बालकों के विरूद्ध अपराधों में शीघ्र विचारण तथा दोषियों को सजा कराने से समाज में सुरक्षा तथा शांति का माहौल पैदा हो रहा है।
- प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य के सत्र एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन कार्य में उल्लेखनीय सुधार आया है। अभियोजन विभाग द्वारा की गई चुस्त एवं सशक्त पैरवी के फलस्वरूप **महिला उत्पीड़न के अपराधों मे राज्य मे सजा का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक** है। **इन अपराधों मे अपराधियों को अपराधियों को मिली सजा का प्रदेश का प्रतिशत 56.4 रहा जो राष्ट्रीय स्तर पर सजा के प्रतिशत 24.20 के दोगुने से ज्यादा है।**
- वर्ष 2012 से जुलाई 2015 तक प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराध यथा हत्या सहित बलात्कार,बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, शीलभंग आदि के मामलों में 4891 मामलों में सजा दी गई। यह ऑकड़े वर्तमान सरकार की दिशा में शुरू की गई ठोस पहल के तहत सार्थक नतीजों के रूप में सामने आई है।
- अभियोजन विभाग के सशक्त पैरवी के फलस्वरूप राज्य में सजा का प्रतिशत वर्ष 2012 से अक्टूबर 2015 तक सत्र न्यायालय में कुल सजा 39985 (40.50) तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में कुल सजा 1758820 (93.76) अपराधियों को कराई गई। सत्र न्यायालयों मे सजा का प्रतिशत वर्ष 2012 में 34.97, वर्ष 2013 में 40.67, वर्ष 2014 में 43.37 तथा

वर्ष 2015 में (अक्टूबर तक) 44.20 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार मजिस्ट्रेट न्यायालय में सजा का प्रतिशत वर्ष 2012 में 91.00, वर्ष 2013 में 93.78, वर्ष 2014 में 94.83 तथा वर्ष 2015 में(अक्टूबर तक) 94.67 प्रतिशत रहा है।

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल 2012 से 31 जुलाई 2015 तक प्रदेश के मजिस्ट्रेट न्यायालयों में आईपीसी के अपराधों में 1 लाख 91 हजार से अधिक तथा अन्य अधिनियम के अपराधों में 12 लाख 66 हजार से अधिक मुकदमों में सजा कराई गई। इसी प्रकार सत्र न्यायालयों में आईपीसी के अपराधों में 14 हजार से अधिक तथा अन्य अधिनियम के अपराधों में 26 हजार से अधिक मुकदमों में सजा कराई गई।
- अभियोजन विभाग के अभियोजकों, जनपदों में तैनात जिला शासकीय अधिवक्ताओं एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं के माध्यम से उन्होने जुलाई 2015 से सभी जिलों एवं थानों के टॉप–10 आदि सक्रिय अपराधियों को **''सजा कराओ अभियान–2015'' तथा ''शातिर अपराधियों की जमानत खारिज कराकर जेल भेजो'' नामक विशेष अभियान शुरू किये गये है।** इस अभियान के बहुत अच्छे नतीजे सामने आये है।
- जिन गवाहों की गवाही पर महत्वपूर्ण वादो में सजा हुई है, उनको सम्मानित करने का अभियान चलाया गया है। फौजदारी के शासकीय अधिवक्ताओं, अभियोजकों, थाने के पैरोकारों व गवाहों जिनकी पैरवी से अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा से दण्डित कराना संभव हो सका, को अभियोजन विभाग के अधिकारियों नें व्यक्तिगत रूप से मिल कर सम्मानित किया जाने का सिलसिला शुरू किया गया है। इस अभियान से प्रदेश स्तर पर पैरवी में सुधार परिलक्षित हो रहा है, गवाहो में आत्मविश्वास जागृत हुआ है और सभी भयमुक्त होकर गवाही दे रहे है, जिससे अच्छे परिणाम सामने आये हैं।
- अभियोजन निदेशालय पर एक कन्ट्रोल रूम एवं हेल्प लाइन की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था से सम्बन्धित तथा गवाहों को मार्गदर्शन देने हेतु कार्य किया जायेगा। यदि किसी पीड़ित वादी या गवाह की समस्या का समाधान नहीं होता है तो सुरक्षा एवं मदद के लिये 100 नम्बर डायल करके थाने व क्षेत्र के अधिकारियों को सूचित कर सकता है। अभियोजन निदेशालय के कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर 0522–2305780 तथा सीयूजी नम्बर 9454456512, निर्धारित किया गया है और यह सुबह 9:30 से लेकर शाम 6:00 बजे तक खुली रहती है।
- अभियोजन विभाग द्वारा वाट्सएप्प न0 9454456512, की भी शुरूआत की गयी है जिसके द्वारा पूरे प्रदेश के अभियोजको को जोड़ा गया है। इसमे सुप्रीम कोर्ट की रूलिग्स, शासनादेश व विभागीय परिपत्रो इत्यादि की जानकारी प्रसारित की जाती है, ताकि अभियोजकगण व शासकीय अधिवक्ता अद्यतन विधिक ज्ञान की जानकारी लेकर पूरे मनोवेग से राज्य हित में अभियोजन पक्ष को न्यायालय के समक्ष रख सके ।

प्रशिक्षण

- पुलिस की कामयाबी के लिए जरूरी है कि जनता में उसका भरोसा हो। प्रशिक्षण निदेशालय ने अब सिपाही से लेकर पुलिस उपाधीक्षक तक के मानवीय पक्ष को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण में मनोविज्ञान, अपराध शास्त्र, मानव व्यवहार जैसे पाठ्यक्रम जोड़े है।
- पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा पुलिस कर्मियों की मनोवृत्ति में बदलाव के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए है। अव्वल तो दारोगा और डीएसपी को कानूनी रूप से दक्ष बनाने पर विशेष बल दिया गया है साथ ही सिपाहियों के लिए भी व्यवहार ठीक रखने पर जोर दिया गया है। चूंकि पुलिस का काम टेबल पर कम और जनता के बीच ज्यादा होता है इसलिए प्रशिक्षण निदेशालय की कोशिश है कि पुलिस का रिस्पांस और व्यवहार कुदरती न होकर प्रशिक्षित हो।
- प्रशिक्षण में पुलिस कर्मियों को किसी के घर की तलाशी का तरीका और सलीका दोनो सिखाये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए प्रयोगात्मक कार्य पर 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये है। तलाशी का सीन क्रिएट करते हुए उसकी वीडियोग्राफी कराई कर प्रशिक्षुओं को बताया जा रहा है कि इसमें आपका तरीका और सलीका कैसा था।
- अमूमन–कानून–व्यवस्था बिगड़ने पर भीड़ पत्थर चलाती है तो पुलिस भी पत्थर चलाकर पलटवार करती है। किन्तु नए प्रशिक्षण पाठक्रम में इस खामी को दूर करते हुए उनके मानवीय पक्ष को मजबूत करने की पहल की गई है। अराजकतत्वों पर कानून के जरिये सख्ती करने के साथ ही पुलिस को तकनीक, संसाधन और जनशक्ति के उपयोग पर बल दिया गया है। न्यूनतम बल प्रयोग कर हिंसा को नियंत्रित करने के भी गुण सिखाये जा रहे है।

- पुलिस के किसी घटना होने के बाद पहुंचते ही भगदड़ जैसी स्थिति पैदा उत्पन्न न हो और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो सके उसके लिए अब पुलिसकर्मियों को पंचायतनामा से पहले सीन ऑफ क्राइम को संरक्षित करने और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने की सीख दी जा रही है।
- प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अब बोझिल नहीं रहेगा। जिस पुलिसकर्मी की जो भूमिका है उसी के अनुरूप उसका पाठ्यक्रम रहेगा। मसलन डीएसपी को जिला प्रशासन और अंतरराज्यीय समन्वय की भूमिका में पारंगत करेंगे तो दारोगा को थाना प्रशासन का ज्ञान दिया जायेगा। सभी को अन्तः विभागीय समन्वय के लिए परिपक्व किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को रवैया बदलने के लिए सामाजिक संदर्भो से जोड़ेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षण स्कूलों में आमंत्रित किया जाएगा।
- पुलिसकर्मियों को व्यावहारिक बनाने के लिए सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया गया है जिसके लिए आदेश जारी कर दिये गये है।
- पुलिस कर्मियों का रवैया बदलने के लिये सामाजिक संदर्भ से जोड़ने की नयी पहल की गयी है जिसके लिये विश्वविद्यालय से विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षण स्कूलों में आमंत्रित किया जायेगा।
- पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत पुलिस आकादमी मुरादाबाद में साइबर लैब की स्थापना, नव प्रशिक्षण संस्थानों हेतु विभिन्न उपकरणों यथा सीसीटीवी सिस्टम विथ 16 कैमरा, कलर डिजीटल रिजोग्राफ, सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम, कलर प्रिंटिंग प्रेस, कम्प्यूटर एवं जरूरी सहवर्ती उपकरणों की खरीद आदि के कार्य किये जा रहे है।

पुलिस तकनीकी शाखा

- **क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.)** योजना के तहत सभी थानों, पुलिस कन्ट्रोल रुम तथा पुलिस अधिकारियों के विभिन्न कार्यालय यथा क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय कार्यालय, डीजीपी कार्यालय आदि से नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़नें का कार्य हो रहा है जिसके लिए पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। विभिन्न विवेचना इकाईयों यथा सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू को भी कम्प्यूराइज्ड कर नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़े जाने आदि की सम्पूर्ण प्रक्रिया के पूर्ण होने पर डाटा संकलन, विश्लेषण एवं डाटा ट्रांसफर व विभिन्न डाटा आदान–प्रदान कर सूचनायें भेजने में सुगमता होगी।
- **इस योजना में सिटीजन इन्टरफेस देने का भी प्राविधान** है। इस योजना के लागू होने के पश्चात आम जनता घर से ही अपनी शिकायत कम्प्यूटर पर इन्टरनेट के माध्यम से दर्ज कर सकेगी। प्रत्येक शिकायत को **एक यूनीक कोड** (रेलवे पीएनआर की तरह) दिया जायेगा। उस कोड के माध्यम से वह अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही अथवा जॉच की प्रगति को समय–समय पर देख सकता है।इसके अतिरिक्त इस योजना में **चरित्र सत्यापन, शस्त्र लाइसेंस, धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए आवेदन करने की आन–लाइन व्यवस्था** है। इन कार्यों के लिए आम जनता को थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना में डेटा फीडिंग थाने स्तर पर होगी एवं **शिकायतकर्ता को एफ0आई0आर0 की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि** दी जायेगी।
- सीसीटीएनएस योजना के तहत 2487 स्थलों के लक्ष्य के विरूद्ध 2256 स्थानों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गयी है।
- 10 दिसम्बर 2015 तक 30,46,915 ऑनलाइन जीडी तथा 3,18,814 ऑनलाइन एफआईआर पंजीकृत की गयी है।
- **''खोयी वस्तु रिपोर्ट सेवा''** "UPP Lost Articale Report App" नामक ऑन लाइन एप्लिकेशन तैयार कर प्रदेश में लागू किया गया है। यदि पासपोर्ट, फिक्स डिपाजिट, मोबाइल फोन, वोटर आईडी, आधार कार्ड कहीं खो गया है तो आपको उसके खोने की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु व्यक्तिगत रूप से अब थाने जाने की जरूरत नही है बल्कि अब यह कार्य घर बैठे भी किया जा सकता है। **यह सुविधा** उत्तर प्रदेश पुलिस की वेब साइड https://uppolice.nic.in पर सिटीजन सर्विसेज में मोबाइल एप्प के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है जिसमें इस रिपोर्ट की डिजिटल हस्ताक्षरित पाउती रिपोर्ट कर्ता को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है जिसकी मान्यता थाने मे दी गई सूचना की रसीद की भांति है।
- इस एप्प के माध्यम से अब तक 32303 शिकायते दर्ज की जा चुकी है।

यातायात नियंत्रण के प्रयास

- आवश्यक सेवाएं शीघ्र व समयबद्ध रूप से पहुंचाने हेतु ''नागरिकोन्मुखी सेवा प्रकोष्ठ'' का गठन।

- यातायात प्रबंधन पर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश की यातायात व्यवस्था को और अधिक चुस्त–दुरुस्त बनाये जाने के उद्देश्य से **''एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली'' (Intigrated Traffic Management System**) नामक योजना को चरणबद्धरुप से प्रदेश में लागू किया जाना है। प्रथम चरण में प्रदेश के चिन्हित 12 जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, कें नगरीय क्षेत्र में यह योजना लागू की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा इसके लिये 50 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है। इस योजना में प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली को और अधिक सुदृढ करने पर बल दिया गया है। इसके अंर्तगत ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना संचालन एवं उसका रखरखाव आदि सभी कार्य किये जायेंगे। साथ ही प्रमुख स्थानों पर यातायात संकेतकों की स्थापना होगी। सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे जिनको नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जायेगा।
- इस योजना के तहत **इंटेलीजेन्ट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम** (**Intelligent Transport System**) की स्थापना की जायेगी, जिसके तहत स्वचलित सिगनल नियंत्रण प्रणाली, पैदल यात्रियों के लिये पृथक सिग्नल प्रणाली, राज्य स्तर पर ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सेन्टर, एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कॉरीडोर मैनेजमेंट, परिवर्तनशील यातायात संकेतक आदि की स्थापना होगी। योजना में ट्रैफिक सिगनल्स, सर्विलांस कैमरा, इन्फोर्समेंट कैमरा आदि की भी व्यवस्था होगी।
- राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं सेवाओं को सुगमतापूर्वक जनमानस को उपलब्ध कराने तथा जनता की समस्याओं व शिकायतों के निराकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, आधुनिक संचार संसाधनों तथा सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसी कड़ी में राज्य की ट्रैफिक पुलिस ने भी सोशल मीडिया का प्रयोग करना शुरू कर दिया है ताकि प्रदेश के यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने एवं आम नागरिकों की सुविधा हेतु इसके माध्यम से जानकारी दी जा सके। इस वर्ष पहली जुलाई 2015 से प्रदेश के 16 महानगरों में इस से इस योजना की शुरूआत की गई है।
- यातायात निदेशालय द्वारा प्रथम चरण में गाजियाबाद, आगरा, आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, गोरखपुर, बरेली व कानपुर महानगरों को **सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर एवं व्हाट्स एप्प** सेवा से जोड़ा गया है। प्रत्येक जिले के लिये अलग–अलग ग्रुप बनाये गये है। इसके तहत फेसबुक, ट्विटर एवं व्हाट्स एप्प तीनों पर लोग अपनी समस्या, सुझाव व शिकायत भी भेज सकते है किन्तु फोटो एवं वीडियो केवल व्हाट्स एप्प पर ही भेजी जा सकेंगी। फेसबुक व ट्विटर के माध्यम से ट्रैफिक रेगुलेशन्स, ट्रैफिक एडवाइजरी व ट्रैफिक एलर्ट्स की जानकारी लोगों को दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। हर जिले के ट्रैफिक पुलिस का इंटरनल व्हाट्स एप्प ग्रुप भी बनाया गया है ताकि यातायात प्रबन्धन की कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा सके।
- इसके माध्यम से यातायात प्रबंधन के अलावा भविष्य की यातायात योजनाओं संबंधी ट्रैफिक एडवाइजरी एवं एलर्ट भी लोगों को देने की व्यवस्था की गयी है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर शमन शुल्क संबंधी विवरण तथा सड़क सुरक्षा संबंधी विवरण लोगों को उपलब्ध होगा। इसका उपयोग यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ व सुचारू संचालन हेतु जनजागरूकता को विकसित करने में भी किया जायेगा और अधिकाधिक जनसहयोग भी प्राप्त होगा।
- इस योजना के तहत यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के साथ–साथ उसकी निगरानी भी की जायेगी, तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर ई–चालान भेजने की व्यवस्था होगी। योजना में आपातकालीन वाहनों के बिना रुकावट गुजरने हेतु भी विशेष इंतजाम किये गये है। साथ ही सड़क सुरक्षा उपायों पर भी विशेष बल दिया गया है।
- शासन द्वारा उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के अंर्तगत उत्तर प्रदेश हाईवे पेट्रोल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 13 करोड़ 28 लाख रूपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आम जन को सड़क पर सुरक्षित यात्रा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से गृह विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश हाईवे पेट्रोल परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंर्तगत यातायात निदेशालय के स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक यातायात के अधीन परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्थापित की गयी है। विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट का सड़क सुरक्षा कम्पोनेन्ट गृह विभाग से संबंधित है।
- सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम, यातायात के समुचित प्रबंधन एवं प्रदेश व्यापी दुर्घटना की संपूर्ण सूचना तथा विश्लेषण/शोध के लिये सड़क सुरक्षा हेतु **''उत्तर प्रदेश हाईवे पेट्रोल''** परियोजना के क्रियान्वित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था।

- पुलिस विभाग के अन्तर्गत संचालित की जा रही नागरिक केन्द्रित सेवाओं का पूरे प्रदेश मे विस्तार किये जाने हेतु ''**इन्टीग्रेटेड टेक्नोलोजी इनेबिल्ड सिटीजन सेन्ट्रिक सर्विसेज'' ITECCS (Integrated Technology Enabled Citizen Centric Services)** नामक एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन यातायात निदेशालय के अधीन किया गया है। प्रकोष्ठ के संचालन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व अपर पुलिस महानिदेशक यातायात को अपने कार्य के अतिरिक्त सौंपा गया है। वर्तमान समय मे डायल–100, एकीकृत यातायात प्रबंधन, स्मार्ट सिटी सर्विलांस, हाइवे पुलिस तथा कतिपय अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओ का धीरे–धीरे विस्तार करते हुये इससे पूरे प्रदेश को आच्छादित किये जाने का दायित्व इसे सौंपा गया है।

पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के प्रयास

- पुलिस बल के मनोबल समवर्धन हेतु बड़े पैमाने पर आरक्षियों से लेकर आईपीएस अधिकारियों तक अर्थात विभिन्न संवर्गो के पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों के प्रमोशन, सेलेक्शन ग्रेड व अन्य सेवा संबंधित लाभ दिये जाने की कार्यवाही जो वर्तमान सरकार द्वारा की गयी है वह एक रिकार्ड है, और इतनी बढ़ी संख्या में अभी तक यह कार्य कभी नहीं किया गया था।
- शासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर पुलिस विभाग के लगभग 34 हजार अराजपत्रित कर्मियों को विभिन्न पदों पर पदोन्नतियां प्रदान की गयी है तथा 15 हजार और कर्मियों को निकट भविष्य में शीघ्र ही यह लाभ प्रदान किया जायेगा जो एक कीर्तिमान होगा।
- इसी कड़ी में पुलिस बल के मुख्य आरक्षियों, उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के वर्तमान में उपलब्ध पदों में वृद्धि करते हुये इन्हें क्रमशः 60 हजार, 40 हजार तथा 5 हजार किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप इन पदों पर कुल 30575 कर्मियों को प्रोन्नित के नये अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
- कर्तव्यपालन के दौरान मृत्यु के प्रकरणों में असाधारण पेंशन मंजूर करने के प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिये नियमावली में आमूल चूल बदलाव करते हुये उत्तर प्रदेश पुलिस असाधारण पेंशन नियमावली 2015 प्रख्यापित की गयी है। इस नियमावली में पुलिस बल एवं पीएसी के साथ–साथ अग्निशमन सेवा के कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इसमें ऐसे प्रावधान किये गये है जिससे ऐसे प्रकरणों का शीघ्रतापूर्वक एवं पारदर्शी निस्तारण किया जा सके।
- कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिये इस वर्ष 2015 में 100 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह तथा 400 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किये गये। इसी वर्ष से प्रारम्भ की व्यवस्था के अंतर्गत 95 राजपत्रित/अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) से सम्मानित किया गया है।
- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सशस्त्र पुलिस संवर्ग के सभी आरक्षी नागरिक पुलिस संवर्ग के नियतन में ही बने रहेंगे एवं सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति की उपरांत समयबद्ध रूप से वापस नागरिक पुलिस संवर्ग में आयेंगे जिससे सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों की नियुक्ति में पारदर्शिता के साथ–साथ कर्मियों की शारीरिक दक्षता एवं कार्य कुशलता भी सुनिश्चित होगी।
- पुलिस विभाग में विद्यमान विभिन्न संवर्गों की 16 सेवा नियमावलियों की गहन समीक्षा कर भर्ती की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुये यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी संवर्गो में नियमित रूप से भर्तियां/नियुक्तियां, स्थायीकरण तथा प्रोन्नतियां सम्पादित हो सके।
- **वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार**, पुलिस पदक एवं पुलिस पदक का बार हेतु राजपत्रित व अराजपत्रित श्रेणी के **पुलिस कर्मियों को मिलने वाले भत्ते को दोगुना किया गया।** वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार हेतु अब प्रतिमाह 1500 के स्थान पर 3000 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार वीरता के लिए पुलिस पदक तथा वीरता के लिए पुलिस पदक का बार हेतु अब प्रतिमाह 900 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
- उत्कृष्ट व सराहनीय सेवा करने वाले पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उनको मिलने वाले **उत्कृष्ट व सराहनीय सेवा सम्मान चिन्हों की संख्या लगभग दोगुनी** कर दी गयी है ताकि अधिकाधिक पुलिस कर्मियो को प्रोत्साहन मिल सके। प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में अब 50 के स्थान पर 100 उत्कृष्ट तथा 200 के स्थान पर 400 सराहनीय

सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किये जायेगें। इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक के स्तर पर एक पॉच सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया है।

- शासन द्वारा प्रदेश के पुलिस बल में **आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय** लिया गया है। इसके साथ ही अदम्य साहस एवं शौर्य का परिचय देने वाले पुलिस कर्मियों के मनोबल एवं साहस को बनाए रखने के लिये **अब आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति के स्थान पर नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान कर पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जायेगा।** राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय पुलिस महानिदेशक की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए लिया है। वर्ष 2014 में गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक द्वारा 75 उत्कृष्ट एवं 300 सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को प्रदान किये गए है।
- पुलिस कर्मियों के साहसिक कार्य के लिये पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर **मुख्यमंत्री का प्रशस्ति पत्र एवं उसके साथ 25 हजार रूपये का नगद पुरस्कार** दिया जा रहा है। उच्च श्रेणी का साहसिक कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर मुख्यमंत्री का वीरता पदक दिये जाने के साथ प्रति माह 1000 का मासिक भत्ता देने का निर्णय लिया गया। इन दोनों श्रेणियों के लिए मापदण्ड पुलिस महानिदेशक, द्वारा तय किया जायेगा। **शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों के लिए शासन द्वारा अनुग्रह धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए** कर दिया गया है।

पुलिस को और बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास

- **एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ एवं जनपद इटावा के सैफई में स्थित पी0जी0आई0, तेज बहादुर सप्रु चिकित्सालय, बेली रोड, इलाहाबाद में पुलिस विभाग में कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके आश्रितों के कैशलेस इलाज की व्यवस्था** की गई है। इसके अलावा लखनऊ व इलाहाबाद में स्थानीय स्तर पर विभिन्न पैथालाजी सेन्टरों पर कैशलेस जॉच की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
- शासन द्वारा पुलिस बल के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलने वाले वर्दी अनुरक्षण (धुलाई) भत्ते को 12 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 125 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
- पुलिस व पीएसी के जिन कर्मियों को न तो सरकारी आवास मिला है और न ही सरकारी आवासीय सुविधा मिली है तथा उनके परिवार के सदस्य उसी शहर में किराये के मकान में रह रहे है, ऐसे कर्मियों को फैमिली एकोमोडेशन एलाउंस दिये जाने के निर्देश दिये गये है।

आवासीय एवं अनावासीय समस्या का प्राथमिकता से निर्धारण

- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण तथा कानून–व्यवस्था को और अधिक चुस्त–दुरूस्त बनाने के उद्देश्य से एक ही स्थान पर पुलिस की विभिन्न शाखाओं का लाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए लखनऊ में बहुमंजिला पुलिस भवन बनाये जाने की मंजूरी दी गई है जिससे पुलिस की विभिन्न शाखाओं को आपस में सूचनाओं के आदान–प्रदान में तेजी आयेगी। सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में नवनिर्मित होने वाला यह पुलिस भवन गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर–7 में निर्मित कराया जा रहा है। इसके निर्माण से पुलिस की विभिन्न इकाइयों से संपर्क मे लगने वाले समय में बचत व कार्य मे सुगमता होगी।
- पुलिस भवन में पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, रूल्स एवं मैनुअल, पी0ए0सी0 मुख्यालय, पीएसी मध्य एवं पूर्वी जोन, प्रशिक्षण निदेशालय, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, यातायात, एस0आई0टी0, फायर सर्विस, विशेष जांच, रेलवे, मानवाधिकार, तकनीकी सेवायें, आर्थिक अपराध अनुसंधान, सहकारिता, अभियोजन, एस0सी0आर0बी0, खाद्य प्रकोष्ठ, विशेष सुरक्षा वाहिनी, सी0आई0डी0 एवं सुरक्षा मुख्यालय आदि के कार्यालयों को स्थापित कराया जायेगा।
- **महिला पुलिसकर्मियों की आवासीय समस्या के निदान के लिए 320 थानों में उनके लिए अलग से बैरकों का निर्माण** कराया जा रहा है। **पहले चरण में तहसील मुख्यालय के थानों पर महिला बैरक, आगन्तुक कक्ष के निर्माण कराये जाने की योजना** है। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के लिए प्रायः अन्य जनपदों में जाना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक **जिला मुख्यालय पर कर्मचारी हॉस्टल बनवाए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष प्रकार के अष्टकोणीय आकृति के नए किलानुमा थाने** बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया है।
- आम जनता का रोजमर्रा का संपर्क पुलिस में जिस इकाई से होता है वह है पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी। सरकार ने इनकी स्थति सुधारने के लिये थानों के नये भवन की ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार कर इसका मानकीयकरण करा दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में थानों के भवन आर्कषक एवं कार्य करने तथा आगंतकों की दृष्टि से सुविधाजनक होंगे। पुलिस थानों के साथ–साथ पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों का पहली बार

मानकीकरण कराते हुये उनके क्षेत्रफल, डिजाइन तथा साज–सज्जा को उन्नत एवं आकर्षक रूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार भविष्य में निर्मित कराये जाने वाले आवासीय भवनों का क्षेत्रफल उनके आवश्यकता को देखते हुये बढ़ा दिया गया है।

- पुलिस कर्मियों के लिये भविष्य में निर्मित किये जाने वाले आवासीय भवनों की दो श्रेणियां होंगी जिनमें टाइप–ए के आवासों का क्षेत्रफल 968 वर्ग फुट से बढ़ाकर 1130 वर्ग फुट कर दिया गया है तथा इसमें अन्य सुविधाओं के साथ तीन बेडरूम होंगे। इसी प्रकार टाइप–बी के भवनों को क्षेत्रफल 646 वर्गफुट से बढ़ाकर 968 वर्गफुट कर दिया गया है। इनमें अन्य सुविधाओं के साथ–साथ दो बेडरूम का प्रावधान होगा।
- इन मानकों के अनुरूप आवासीय इकाईयों के निर्माण को गति प्रदान करते हुये प्रदेश के 25 जनपदों में 2000 आवासीय इकाईयों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जायेगा तथा अन्य 2000 इकाईयों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही कार्यवाही की जायेगी।
- पुलिस बल के विभिन्न संगठनों में अनावासीय एवं आवासीय भवनों की कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किये जा रहे है। इसके अंतर्गत अब तक कुल 675 करोड़ लागत के 1674 कार्य स्वीकृत किये गये है। इनमें से जून 2015 तक 140 कार्य पूर्ण होकर विभाग को हस्तगत हो चुके हैं तथा शीघ्र ही विभाग के उपयोग में आ जायेंगे। कुल 729 कार्य मार्च 2016 तक पूर्ण होंगे तथा शेष कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये विशेष व्यवस्था

- प्रदेश में नक्सल प्रभावित जनपद चंदौली, सोनभद्र तथा मिर्जापुर में नक्सलियों के आक्रमण से बचाव हेतु विशिष्ट डिजाइन वाले 46 अष्टकोणीय थाना भवनों का कार्य प्रगति पर है। इन भवनों के निर्माण कार्या में आने वाली वित्तीय एवं प्रशासनिक बाधाओं का समाधान करते हुये भवनों को मार्च 2016 तक पूर्ण कराकर थानों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रयास तेज किये गये है।
- नक्सल प्रभावित इन जनपदों में परस्पर संचार प्रणाली को बेहतर बनाये जाने के लिये 78 मोबाइल टावरों की स्थापना तथा उन्हें क्रियाशील किये जाने वाले कार्य में आने वाली बाधाओं को निरंतर समीक्षा कर दूर किया गया। वर्तमान समय में 2 टावर को छोड़कर शेष अन्य 76 टावर संचारशील हो गये है जिनका उपयोग स्थानीय पुलिस एवं सुरक्षा कार्य में लगे केन्द्रीय अर्धसेनिक बलों सहित क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा किया जा रहा है।

पुलिस की गतिशीलता बढ़ाने एवं कार्य प्रणाली में पारदर्शीता लाने के प्रयास

- पुलिस कर्मियों के कार्य निष्पादन की दक्षता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से विभाग के समस्त निरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों को 23282 सीयूजी सिम स्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार इस निर्णय के फलस्वरूप पुलिस विभाग में पुलिस महानिदेशक से लेकर उपनिरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को सीयूजी सिम स्वीकृत कर दिया गया है। इससे न केवल अधिकारियों के मध्य परस्पर सम्पर्क एवं संवाद सुगम होगा। अपितु जन सामान्य को भी इसका लाभ मिलेगा तथा इससे अपराध नियंत्रण, अपराध–अनावरण एवं अभियोजन में विशेष सहूलियत होगी।
- थानों में तैनात पुलिस बल की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग में पहली बार एक साथ 1056 नये चार पहिया वाहन उपलब्ध कराये गये है। इनक आ जाने से वर्तमान व्यवस्था को मिलाते हुये अब हर थाने पर 2–2 हल्के चार पहिया वाहन उपलब्ध हो गये है। इससे सामान्य पुलिसिंग सहित अपराध नियंत्रण, आपराधिक घटनाओं का अनावरण, विवेचना तथा अभियोजन कार्य की गति एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- प्रदेश के सभी थानों में दो–दो सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे है। जिनमें से एक कैमरा थाना कार्यालय तथा दूसरा लॉकअप में स्थापित किया जायेगा। जिले के पुलिस प्रभारी अपने यहां से इसके माध्यम से थाने पर चलने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकेंगे।
- प्रदेश के सभी थानों को लगातार 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की दिशा में शासन द्वारा प्रयास तेज किये गये है। इसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोलर फोटो वोल्टाइक सेल स्थापित कर वैकल्पिक पावर बैक–अप उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रदेश के नक्सल प्रभावित चन्दौली, सोनभद्र तथा मीरजापुर जनपदों के थानों सहित प्रथम चरण में कुल 250 थानों का चयन कर उन पर इस वैकल्पिक विद्युत अपूर्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा इसे चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी थानों में स्थापित किया जायेगा।
- पुलिस की परस्पर दूर संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु एनालाग बेस्ड उपकरणों को प्रतिस्थापित कर डिजिटल प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु 45 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

''प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पीईएमएस) डायल 100 परियोजना''

- छह माह बाद उत्तर प्रदेश पुलिस बदली दिखेगी। तब तक डायल 100 परियोजना शुरू हो जायेगी और ग्रामीण इलाकों में 15 मिनट और शहरों में सूचना मिलने के दस मिनट के भीतर पुलिस घटनास्थल पहुंचेगी। हाईटेक अपराधी, साइबर क्राइम और नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को तकनीक और संसाधन से लैस करेंगे।
- प्रदेश की वर्तमान सरकार जनशक्ति, संसाधन और विशेष प्रशिक्षण के जरिये पुलिस की कार्यशैली में बदलाव लाने के साथ–साथ आम जनता को किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में त्वरित सहायता न्यूनतम समय में उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिये **''प्रदेश स्तरीय पुलिस इमरजेन्सी प्रबन्धन प्रणाली (पीईएमएस) डायल 100 परियोजना''** लागू की जा रही है। परियोजना की कुल लागत 2325.33 करोड़ रूपये है, जिसके लिये लखनऊ में एक **''केन्द्रीय मास्टर को–आर्डिनेशन सेन्टर''** स्थापित किया जायेगा।
- अमेरिका के डायल 911 के तर्ज पर शुरू की जा रही यह परियोजना गेम चेंजर होगी। जिस दिन डायल 100 परियोजना प्रभावी होगी और 10 शहरों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट सिटी सर्विलांस परियोजना लागू हो जाएगी, उस दिन न केवल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होगी बल्कि महिलाओं और बच्चों का भी आत्मबल बढ़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 जिलों कानपुर नगर, लखनऊ, इलाहाबाद व गाजियाबाद में अति महत्वपर्ण आधुनिक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना आकस्मिकता की स्थिति में नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी जिसकी सफलता को देखते हुए पूरे राज्य के लिए एकीकृत व्यवस्था की आवश्यकता को दृष्टिगत रख कर यह प्रदेशव्यापी योजना बनाई गई ताकि नगरीय क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भी इन सुविधाओं का लाभ दिया जा सके।
- इस परियोजना के अंर्तगत किसी आकस्मिक स्थिति में प्रदेश के किसी भी स्थान से टेलीफोन, एसएमएस तथा अन्य किसी संचार माध्यम से **''राज्य व्यापी डायल 100 परियोजना''** के केन्द्र से संपर्क करने वाले नागरिकों को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। यह केन्द्र चौबीसो घण्टे कार्यरत रहेगा तथा केन्द्र को प्राप्त होने वाले सभी टेलीफोन वार्तालापों की रिकार्डिंग होगी। पीड़ित व्यक्ति की मदद के उपरांत केन्द्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति से प्रतिक्रिया प्राप्त कर उसके संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रकरण को बंद किया जायेगा।
- इस परियोजना के अंतर्गत **स्थल सेवाएं** प्रदान करने के लिये प्रदेश के सभी **75 जनपदों में कुल 3200 चार पहिया वाहन एवं 1600 दो पहिया वाहन पुलिस पेट्रोल वाहन** के रूप में व्यवस्थापित किये जाएंगे। सभी वाहनों में अत्याधुनिक उपकरण लगाये जाएंगे तथा उसके जीपीएस उपकरण के माध्यम से प्रत्येक वाहन की भौगोलिक स्थिति की जानकारी मुख्य केन्द्र को प्राप्त होती रहेगी। किसी भी आकस्मिकता की सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष द्वारा सबसे पास उपलब्ध वाहन घटना स्थल पर भेजे जायेंगे। यह वाहन तत्काल घटना स्थल पहुंचकर नागरिकों को आकस्मिक सहायता उपलब्ध करायेंगे तथा स्थानीय पुलिस के आगमन पर प्रकरण उसके हवाले करेंगे। साथ ही यह वाहन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने लिए निर्धारित मार्ग पर पेट्रोलिग भी करेंगे।
- लखनऊ में स्थापित किये जा रहे मुख्य डायल 100 केन्द्र की तरह जनपद आगरा तथा वाराणसी में दो केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। यह उपकेन्द्र मुख्य केन्द्र के वैकल्पिक प्रतिबिम्ब के रूप में कार्य करेंगे। लखनऊ के मुख्य केन्द्र में की जाने वाली समस्त कार्यवाही इन केन्द्रों से भी स्वतंत्र रूप से की जा सकेगी। प्रत्येक केन्द्र की क्षमता मुख्य केन्द्र की क्षमता की 15 प्रतिशत होगी। लखनऊ केन्द्र की सेवाओं में किसी तरह के व्यवधान होने की स्थिति में यह केन्द्र स्वतः कार्य करेंगे। यह केन्द्र भी मुख्य केन्द्र की भांति लगातार चौबीस घण्टे कार्यरत रहेंगे।
- इस परियोजना के माध्यम से पुलिस बल के रिस्पांस टाइम को न्यूनतम करने का प्रयास किया गया है। परियोजना के शुरूआती दौर में रिस्पांस टाइम शहरी क्षेत्रों में दो पहिया वाहन हेतु लगभग 10 मिनट एवं चार पहिया वाहन हेतु लगभग 15 मिनट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रिस्पांस टाइम चार पहिया वाहन हेतु लगभग 20 मिनट का लक्ष्य रखा गया है।
- उम्मीद है कि आने वाले छह माह के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस का नया चेहरा जनता के समक्ष आयेगा, क्योंकि तब तक प्रदेश सरकार की अति महत्वपूर्ण **'केन्द्रीयकृत डायल 100 परियोजना''** शुरू हो जायेगी। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी समय सभी व्यक्तियों जिसमें विकलांगजन भी शामिल हैं, की **सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये त्वरित एकीकृत आपातकालीन सेवाएं प्रदान किया जाना** है।

- यह देश ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक नेटवर्क होगा। जनसुरक्षा की दृष्टि से संचालित अन्य सेवाये जैसे फायर सर्विस, राजमार्ग पुलिस, एकीकृत यातायात प्रबन्ध, स्मार्ट सिटी सर्विलांस, वूमेन पावर लाइन, स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित सेवा आदि को भी निकट भविष्य में इसी केन्द्र से एकीकृत किया जायेगा।

अपराधों के स्वतंत्र रूप से शत्प्रतिशत पंजीकरण के निर्देश

- वर्ष 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार शत्प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किये जाने के लिये पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से निर्देश निर्गत किये गये, तथा उसका पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया।
- वर्ष 2015 में प्रदेश पुलिस के प्रयासों व प्रतिबद्धता एवं संकल्प के कारण विभिन्न अपराधों यथा हत्या, महिला उत्पीड़न आदि अपराधों में उल्लेखनीय कमी आयी है। यह ऐसे अपराध है जिन्हें छुपा पाना किसी के लिये भी संभव नहीं है। पहली जनवरी से 30 नवम्बर तक की अवधि में वर्ष 2013 में 4441, वर्ष 2014 में 4627 एवं वर्ष 2015 में 4240 हत्या के अपराध घटित हुये जो विगत वर्ष की अपेक्षा लगभग 8 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार महिला संबंधी अपराधों यथा दहेज मृत्यु में विगत वर्ष के सापेक्ष 5.13, बलात्कार में 11.31, छेड़खानी में 31.55 व फिरौती हेतु अपहरण में 12.90 प्रतिशत की कमी आयी है।
- यह अपराध वर्ष 2014 में वर्ष 2013 की अपेक्षा अपराधों की संख्या अधिक थी क्योंकि प्रदेश पुलिस द्वारा स्वतंत्र रूप से अपराधों का शत्प्रतिशत पंजीकरण किया गया तथा हत्या व महिला संबंधी अपराधों में कठोर एवं त्वरित कार्यवाही की गयी साथ ही साथ विवेचनाओं की गुणवत्ता के स्तर में सुधार किया गया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2015 में इन सभी अपराधों में कमी आयी है। पुलिस द्वारा इस दौरान अपनी गतिशीलता में वृद्धि, घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि एवं विवेचनाओं के स्तर में सुधार के लिये हर संभव प्रयास किये गये है जिसके फलस्वरूप अपराधों में कमी आनी शुरू हो गयी है।
- इसके अलावा लूट, बलवा, गृह भेदन के अपराधों में भी कमी आयी है उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जिसके सापेक्ष प्रायः अपराधों में सामान्यतः वृद्धि दिखनी चाहिये किन्तु प्रदेश पुलिस के अथक प्रयासों दृढ़ संकल्प एवं पुलिस कर्मियों के अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की प्रतिबद्धता के कारण अपराधों में कमी परिलक्षित हुयी है जिसके फलस्वरूप सरकार प्रदेश में भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हुयी है।
- वर्ष 2015 में 30 नवम्बर तक शरीर संबंधी अपराधों में विशेषकर फिरौती एवं अपहरण में 12.90 हत्या में 8.36, बलवा 1.59 प्रतिशत की कमी आयी है। महिलाओं के विरूद्ध उक्त अवधि में तीन वर्षीय तुलनात्मक आकड़ों में विगत वर्ष के सापेक्ष उक्त अवधि में छेड़खानी 31.55, दहेज मृत्यु 5.13, बलात्कार 11.31, शीलभंग 7.21 एवं महिला उत्पीड़न शीर्षक के अंतर्गत घटित अपराधों में 6.54 प्रतिशत की कमी आयी है। सम्पत्ति संबंधि अपराधों में तीन वर्षीय तुलनात्मक आकड़ों में विगत वर्ष के सापेक्ष लूट में 5.61, गृहभेदन 1.64 प्रतिशत की कमी आयी है।
- अज्ञात अभियोगों का सही अनावरण करने की दिशा में पुलिस द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किये गये है जिसके लिये वैज्ञानिक विधियों का विवेचना में अधिकतम प्रयोग किया गया है तथा अथक प्रयास करके लूट, हत्या, डकैती आदि के अनेकों अज्ञात अभियोगों का सफल अनावरण किया गया है।
- पुलिस द्वारा किये गये अज्ञात अभियोगों के सफल अनावरण में सहारनपुर के तनिष्क शोरूम में अज्ञात बदमाशों द्वारा करोड़ों की लूट की घटना, कानपुर–लखनऊ हाई–वे पर थाना सोहरामऊ उन्नाव में घटित सोना लूट, चंदौली में टीवी पत्रकार की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या की घटना आदि प्रमुख है।

अन्य विशेष उल्लेखीय प्रयास

- गुमशुदा एवं लावारिश बच्चों की तलाश व पुर्नवास के संबंध में पुलिस द्वारा वर्ष 2015 में दो विशेष अभियान आपरेशन मुस्कान एवं आपरेशन स्माइल के नाम से चलाये गये। आपरेशन मुस्कान में 1220 एवं आपरेशन स्माइल में 855 विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को तलाश कर या तो उनके अभिभावाकों के सुपुर्द किया गया या पुर्नवास हेतु भेजा गया।
- वर्ष 2016 में पुनः प्रदेश में ''आपरेशन स्माइल'' भाग–दो के नाम सेएक माह के विशेष अभियान शुरूआत जनवरी माह में की गई है। उल्लेखलीय है कि इससे पूर्व गाजियाबाद पुलिस द्वारा वर्ष 2014 में गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु ''आपरेशन स्माइल'' के नाम से विशेष अभियान चलाया गया था, जिसकी सफलता को देखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गत वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2015 तक तथा पहली जुलाई से 31 जुलाई, 2015 तक ''आपरेशन मुस्कान'' के नाम से पूरे देश में दो विशेष अभियान पूरे देश में चलाये गये थे।

- प्रदेश में पूर्व में चले ''आपरेशन मुस्कान'' में 1220 एवं आपरेशन स्माइल में 855 विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को तलाश कर या तो उनके अभिभावाकों के सुपुर्द किया गया या पुर्नवास हेतु भेजा गया।
- **पुलिस बल ने खेलों में बेहतर प्रदर्शन** किया है। अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों ने विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश पुलिस का नाम रोशन कर महत्वपूर्ण पदक प्राप्त किये है। उत्तर प्रदेश पुलिस को **वर्ष 2014 की ''अखिल भारतीय पुलिस हाकी प्रतियोगिता''** के आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि प्रदेश पुलिस द्वारा गत वर्ष 2013 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक प्रतियोगिता का तथा इससे पूर्व वर्ष 2012 में अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया था। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस में खेलकूद को बढावा देने हेतु लगातार प्रयत्नशील है।
- अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश के **14 जनपदों यथा आगरा, इलाहाबाद, बुलंदशहर, बरेली, इटावा, गौतमबुद्धनगर, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर एवं वाराणसी में क्राइम ब्रांच का गठन प्रथम चरण में** किया जा चुका है जिनका सुदृढीकरण किया जा रहा है। **द्वितीय चरण में 48 एवं तृतीय चरण में 13 जनपदों में क्राइम ब्रांच के गठन की कार्यवाही** किया जाना शेष है।
- प्रदेश की अपराध स्थिति के नियंत्रण व कानून–व्यवस्था को और अधिक चुस्त–दुरूस्त बनाने चौकीदारों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। ग्राम **चौकीदारो का मानदेय एक हजार रूपये से बढ़ाकर 15 सौ रूपये प्रतिमाह किया गया** है। ग्राम चौकीदारों को एक–एक टार्च भी उपलब्ध कराई गई है।
- **लावारिश शवों के अन्तिम संस्कार हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1500 से बढ़ाकर रू0 2700 की गई** है। साथ ही लावारिश शवों के ससम्मान अन्तिम संस्कार व कानूनी कार्यवाही हेतु ले जाने के लिये 750 ग्रीन बैग तथा घटना स्थल से सबूत इकठ्ठा करने के लिये 7500 लार्ज ट्यूब एवं क्लोजर कैप खरीद कर सभी थानों पर आवश्यकतानुसार वितरित कराये जा चुके है। इस वर्ष 8000 ग्रीन बैग 16000 लार्ज ट्यूब खरीद कर दी जा रही है।
- ग्राम व मोहल्ला के विवादों के निस्तारण के सम्बन्ध तथा जनपद स्तर पर **''वरिष्ठ नागरिक सेल''** की स्थापना के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। साथ ही सभी **जिलों में प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार का थाना दिवस (समाधान दिवस) आयोजित करने के निर्देश** दिये गये हैं। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु विशेष रूप से प्रति सतर्क दृष्टि बनाए रख कर समय–समय पर कार्यवाही की जा रही है। कम्युनिटी पुलिसिंग प्रणाली लागू की गई है जिसकी समय–समय पर गोष्ठी/कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है।
- प्रदेश में घटित होने वाले जघन्य अपराधों में पुलिस द्वारा तत्परतापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **''जघन्य अपराध मानीटरिंग सिस्टम (Heinous Crime Monitoring System)''** नामक साफ्टवेयर की मदद से विशेष अपराध की श्रेणी में आने वाले जघन्य अपराधों का ब्यौरा तथा उसमें हुई विवेचना की प्रगति का ब्यौरा भी जिला पुलिस के अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर पर दर्ज किया जा रहा है। इस कड़ी में वर्ष 2014 से महिला अपराधो की भी मानीटरिंग की व्यवस्था शुरू की गई है।
- इस अवधि में कोई आतंकवादी गतिविधि प्रकाश में नहीं आई। विभिन्न राज्यों एवं एन.आई.ए. के समन्वय से आतंकवादी सूचनाओं के सम्बन्ध में 'डाटा बैंक' अद्यतन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण व संवेदशील मामलों की विवेचना तथा सुनवाई आतंकवाद निरोधक दस्ते (ए.टी.एस.) की निगरानी में की जा रही है। आतंकवादी हमलों से निपटने के लिये कमाण्डो बल भी तैयार किया जा रहा है।
- राज्य में दक्ष, प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिस बल विकसित करने के मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करने हेतु **''राज्य सुरक्षा आयोग''** का पुनर्गठन किया गया है। पुलिस बल के निरोधात्मक कार्यों, सेवामुक्त कार्यों के प्रदर्शन हेतु सुझाव देना तथा प्रदेश में पुलिस बल के प्रदर्शन की नीतिगत समीक्षा करने का दायित्व भी राज्य सुरक्षा आयोग को सौंपा गया है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश **श्री एस0रफत आलम को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष** के रूप में 18 नवम्बर 2015 को नियुक्त किया गया।
- **गैंगेस्टर व गुण्डा एक्ट का दायरा बढ़ाते** हुये मानव तस्करी, पशु तस्करी, सूदखोरी, बंधुआ मजदूरी, नकली दवा, जाली मुद्रा, गोवध एवं गोवंश संबंधी अपराध, अवैध शस्त्र बनाना, अवैध कटान जैसे कई संगठित अपराधों को भी इनके दायरे मे लाया गया है।

- मुल्जिमों को एक जनपद से दूसरे जनपद में लाने ले जाने हेतु पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकारी यात्रा हेतु रेल किराया देने के स्थान पर **''यात्रा वारण्ट''** की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने उत्तर प्रदेश के अन्दर ट्रेनों में आवागमन करनें वाले यात्रियों की सुविधा हेतु **''जीआरपी सिटीजन आई''** (GRP Citizen Eye) नामक एक नयी व्यवस्था की शुरुआत की है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में चलनें वाली ट्रेनों में पुलिस कर्मियों, पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली, बदसलूकी, पुलिस कर्मी द्वारा किये गये अन्य अनाधिकृत कृत्य, अवैध वेण्डरों के सम्बन्ध में एवं रेलवे स्टेशन पर टैक्सी/ऑटो स्टैण्ड पर अनियमितता आदि के बारे में Whats App पर शिकायत की जा सकेंगी। इस प्रकार के अवैध गतिविधियों की वीडियोग्राफी, ऑडियो क्लिप बनाकर भेजी जा सकती है जिसके भेजने वाले का नम्बर पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा। वीडियो, ऑडियो क्लिप में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध सख्त वैधानिक, विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
- पुलिस बल की कार्य–प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्हे अत्याधुनिक अस्त्र–शस्त्र उपलब्ध कराये गये है। इनमें क्लॉक पिस्टल, एमपी–5 सब मशीन गन, इन्सास राइफल, एसाल्ट राइफल, नाइट विजन, साइट फार एसाल्ट राइफल आदि प्रमुख है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण हेतु अघातक हथियार (Non Lethal Weapon) यथा एण्टी राइट गन, टियर गैस गन, 0.12 बोद पम्प ऐक्शन गन, चिली बम आदि की भी व्यवस्था की गई है।
- जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सिविल पुलिस के नए थानों की स्थापना, पुराने थानों का उच्चीकरण, महिला थाना, ट्रैफिक पुलिस, कण्ट्रोल रूम, फायर क्राइम पुलिस स्टेशन तथा साइबर क्राइम प्रयोगशाला की स्थापना, पुराने फायर स्टेशन का उच्चीकरण, फॉरेन्सिक साइंस लैब, साइबर थाने की स्थापना के साथ–साथ पी0सी0आर0 एवं लैपर्ड के प्रयोजन हेतु वाहनों, मोटरसाइकिलों एवं मोबाइल बैरियर की व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया। जनपद गौतमबुद्ध नगर में 5 नये थाने क्रमशः थाना फेस–3, ईकोटेक–1, ईकोटेक–3, नॉलेज पार्क तथा एक्सप्रेस–वे सृजित किये गये है। इसके अलावा जनपद जनपद मेरठ के नवीन थाना रोहटा, गाजियाबाद में 03 नये थाने क्रमशः लोनी बार्डर, ट्रोनिका सिटी तथा खोड़ा की स्थापना हेतु भी आवश्यक पदों की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है।

————————————